an>

title: Need to include remaining villages under Panchayats extension to scheduled areas (PESA) act.

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विÂषय को उठाने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। केन्द्र सरकार ने 2 दिसम्बर, 1985 में महाराÂट्र राज्य के सभी आदिवासी गांवों की सूची गजट में, शैडयूल एरिया में बनायी थी। आज करीब 85 प्रतिशत गांव, जहां ट्राइबल्स रहते हैं, वे इस सूची में सम्मिलित नहीं हैं। इसके कई कारण है। जब वह सूची बनी थी, तब उन गांवों की आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन आज उनकी आबादी बढ़ गयी है। आज एक ग्राम पंचायत की दो-तीन ग्राम पंचायत बन गयी हैं। इस कारण आज एक गांव के दो-तीन गांव हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदया, आज महाराÂष्ट्र में पीसा कानून सभी शैडयूल एरियाज में इम्प्लीमैंट हो रहा है। शैडयूल एरिया में जिन आदिवासी गांवों की सूची है, उन्हीं गांव में पीसा कानून इम्प्लीमैंटेशन हो रहा है। पीसा के अन्तर्गत शैडयूल एरियाज में नौकरियां, स्पेशली वर्ग तीन और वर्ग चार की नौकरियां उन्हीं गांव के लड़कों या लड़कियों को मिलेंगी, जो पीसा में इन्क्लूडेड हैं। इतना ही नहीं, महाराÂष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार की जो भी योजनाए हैं, वे उन्हीं गांवों को मिल सकती हैं, जो पीसा के अन्तर्गत इन्क्लूडेड हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करना चाहती हूं कि महाराÂष्ट्र में एक पुनः सर्वे सारे शैडयूल एरियाज का हो और जो गांव छूट गये हैं, उन सबका इस सूची में समावेश हो।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मनोज राजोरिया, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल शेवाले, कुंवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ, हिना विजयकुमार गावीत द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।